UPME010032102026

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ न्यायालय संख्या-02, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी- चन्द्र शेखर मिश्र (एच०जे०एस०)

जे०ओ०नं०-यू०पी०-6292

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या-1133/2026

नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं०-897/2026

इन्तेजाम पुत्र इम्तियाज, निवासी कस्बा व थाना किठौर, जिला मेरठ

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य। ..... अभियोगी।

मु०अ०सं०-404/2014

धारा-420,467,468,471,120 बी भा०दं०सं०

थाना-किठौर, जिला-मेरठ।

<u>दिनांक-18.03.2026</u>

1- प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त इन्तेजाम पुत्र इम्तियाज की ओर से मु०अ०सं०-404/2014, धारा-420,467,468,471,120 बी भा०दं०सं०, थाना-किठौर, जिला मेरठ के मामले मे जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा समर्थन में मुजीबुर्रहमान का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार उसके दादा अब्दुल रज्जाक के चचेरे भाई अब्दुल हमीद उर्फ हमीद पुत्र फैजुल्ला, निवासी-करबा व थाना किठौर थे। हमीद पुत्र फैजुल्ला लगभग 50 वर्ष पूर्व कही चले गये (फरार हो गये) थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। उनके नाम कस्बा किठौर में भूमि खसरा न० 883 व 2948 रकबा 0.930 है० व 0.1940 है० तथा नंगली किठौर भूमि खसरा सं० 117 रकबा 0.1780 है० थी, जिसकी कीमत हमीद पुत्र फैजुल्ला ने उसके दादा अब्दुल रज्जाक से वसूल पाकर काबिज करा दिया था, जो आज तक काबिज चले आ रहे है। फरार होने की वजह से बैनामा रजिस्टर्ड नहीं हो पाया था। कस्बे के भूमाफिया गिरोह में मतलूब पुत्र यूसुफ, फारूख पुत्र यूसुफ, मकसूद पुत्र माशूक अली, इंतजाम अली पुत्र इम्त्याज, अबरार पुत्र मुंशी व रिजवान पुत्र जमीर उल हक ने साजिश रचकर उक्त भूमि की एक फर्जी वसीयत दिनाक 25.07.1980 को हाथ से लिखकर व नगर पंचायत किठौर से उक्त मतलूब व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुशील कुमार शर्मा व वहां के बाबुओं ने मिलकर उक्त फरार हमीद का एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर खसरा सं० 883, 2948 व 117 की भूमि को श्रीमान तहसीलदार मवाना व उस समय के लेखपाल किठौर रघुवंश शर्मा से साज करके इंतजाम अली पुत्र इम्त्याज अली के नाम करा ली। रघुवंश शर्मा तहसील के अभिलेखों में छेडछाड, गड़बड़ी करता रहता है। रघुवंश शर्मा उपरोक्त अभियुक्तों से मिला हुआ है। मतलूब आदि सभी ने मिलकर षडयंत्र के तहत भूमि खसरा सं० 883 की करोड़ों की भूमि का बैनामा उक्त जमीन को हड़पने के लिये अपने भाई फारूख पुत्र यूसुफ के नाम करा लिया। महोदय उक्त सभी एक गिरोह है जो भोले भाले लोगो की भूमियों का फर्जी बैनामें व एग्रीमेन्ट कराते है। इससे पूर्व में इन्होंने ग्राम आरिफपुर सरावनी, जिला हापुड में भूमि खतौनी सं० 263 खसरा सं० 3 रकबा 2.934 है० को मतलूब ने अपने भाई फारूक आदि के नाम करा लिया तथा जिसमें इनके विरूद्ध थाना हापुड़ कोतवाली गाजियाबाद पर

मु०अ०सं० 348/2004, धारा 120 बी, 419, 420, 467, 468 471, 478 आई०पी०सी० पंजीकृत है। महोदय उक्त फर्जी हस्तलिखित वसीयत पर मकसूद पुत्र मासूक अली व सदाकत पुत्र मेहदी हसन, निवासी किठौर को वसीयत का गवाह बनाया है। परन्तु सदाकत पुत्र मेहन्दी ने इस प्रकार तो किसी भी वसीयत अपने सामने होने व गवाह होने से मना कर दिया और उन्हें जैसे ही इस बात का पता चला कि उक्त गिरोह ने उसे गवाह दर्शाकर एक फर्जी हस्तलिखित वसीयत बनाई है तो उन्होंने शपथपत्र देकर अपने सामने उक्त वसीयत होने से मना किया है। महोदय उक्त सभी एक शातिर गिरोह है, जिन पर विभिन्न धाराओं के सैकड़ो मुकदमें पंजीकृत है तथा गुण्डागर्दी व दादागिरी के बल पर जमीनों पर कब्जे करते है तथा भोले-भाले व्यक्ति इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते है। उक्त व्यक्तियों का लम्बा चौड़ा अपराधिक इतिहास है। महोदय उपरोक्त मतलूब अपने पद का दुरूपयोग करके उपरोक्त गिरोह को अनैतिक लाभ पहुँचाने के लिए फरार चल रहे हमीद का नगर पंचायत किठौर से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर फर्जी हस्तलिखित वसीयत में अपने सगे चाचा के लड़के मकसूद को गवाह दर्शाकर अपने सगे भाई फारूख के नाम बैनामा करा लिया। महोदय, फारूक भी बी०एस०एफ० का कोर्ट मार्शल हुआ सिपाही है, जिसको अपराधिक प्रवृत्ति के कारण नौकरी से निकाल दिया था तथा उक्त फारूक ने नौकरी भी फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राप्त की थी, जो जांच में सिद्ध हो जायेगी। पनरूक के प्रमाण पत्रों की जो कि फर्जी की भी जांच कराकर इसके विरूद्ध तथा सारे गिरोह के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में मौहल्ले की पार्टीबाजी के आधार पर झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त के सह-अभियुक्त सदाकत की जमानत प्रार्थना पत्र मा० अवर न्यायालय, मेरठ से स्वीकार हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो घटना दर्शायी गयी है ऐसी कोई घटना कारित नहीं हुई है। अभियोजन द्वारा झूठा कथन किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जैसा अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं है जो अभियोजन द्वारा दर्शायी गयी है वह सब फर्जी व झूठी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई झूठी वसीयत नहीं बनायी गयी है जैसा अभियोजन द्वारा आरोप लगाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त शुगर व बी०पी० की बीमारी से ग्रस्त है और जेल की परिस्थितियों में उसका उचित उपचार सम्भव नहीं है जिससे उसके जीवन को खतरा हो सकता है तथा वह बुजुर्ग व गरीब व्यक्ति है। इलाज के प्रपत्रों की छायाप्रति संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो किसी मा० न्यायालय या मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित / विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय से खारिज हो चुका है। खारिज की सत्यप्रतिलिपि जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त सम्मानित परिवार से सम्बन्ध रखता है उसके भागने व गवाहों के साथ छेडछाड करने की कोई सम्भावना नहीं है तथा प्रार्थी / अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे के विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त उचित राशि के जामिनान देने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का प्रबल विरोध किया गया तथा अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के कथनों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली व पुलिस प्रपत्रो का सम्यकपूर्वक अवलोकन किया।

6- अभियोग दैनिकी के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विवादित संपत्ति के स्वामी हमीद, जिनका अता-पता नहीं है, का नगर पंचायत किठौर से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर फर्जी हस्तलिखित वसीयत में मकसूद को गवाह दर्शाकर फारूख के नाम बैनामा कराने का आरोप लगाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि प्रस्तुत मामले में अब्दुल हमीद की संपत्ति ही विवादित है, जिसके संबंध में यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों से यह दर्शित हो रहा है कि अब्दुल हमीद बटवारे के समय पाकिस्तान चला गया था। ऐसी स्थिति में उनके हक व अधिकार की संपत्ति शत्रु संपत्ति की श्रेणी में आना अभिकथित किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त इंजेताम ने अब्दुल हमीद द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत होना अभिकथित किया गया है। उपरोक्त अब्दुल हमीद की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाना अभिकथित है परन्तु दैनिकी पर भागमल सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी नं०पं० किठौर, मेरठ का बयान दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया कि "मैं मूल रुप से नगर पंचायत परीक्षितगढ का अधिशासी अधिकारी था। दिनांक 12.02.2004 को उसके द्वारा अब्दुल हमीद पुत्र फैजुल्ला मौ० सलातीन वार्ड नं० 12 किठौर के नाम से कोई मृत्यु प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था, जो प्रमाणपत्र छायाप्रति मेरे सामने है, पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, ना ही मृत्यु प्रमाणपत्र रजिस्टर में इसका कोई इंद्राज है। यह प्रमाणपत्र ना तो मेरे द्वारा जारी किया गया और ना ही नगर पंचायत के रिकार्ड में है।" इस प्रकार उपरोक्त मृत्यु प्रमाणपत्र की कूटरचना किये जाने का अभियोग आवेदक/अभियुक्त पर लगाया गया है।

7- यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना की समाप्ति तक गिरफ्तारी से रोक का आदेश मा० उच्च न्यायालय से प्राप्त किया गया था। इसके पश्चात विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420,467,468,471,120 बी,504,506 भा०दं०सं० में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जिसपर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2015 को प्रसंज्ञान लेते हुए आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिकाएं निर्गत किये जाने का आदेश पारित किया गया था परन्तु आवेदक/अभियुक्त पर आदेशिकाओं की तामील सुनिश्चित नहीं हो पायी। तत्पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट निर्गत किया गया। सर्वप्रथम गैर जमानती वारण्ट पर यह आख्या प्राप्त हुई कि आवेदक/अभियुक्त अपना मकान बेचकर कही बाहर चला गया है, जिसका पता नहीं चल रहा है। तत्पश्चात आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पुनः गैर जमानती वारण्ट व धारा 82 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत आदेशिकाएं निर्गत की गयी। उपरोक्त संदर्भ में गैर जमानती वारण्ट पर पुलिस द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अभियुक्त इन्तजाम, निवासी कस्बा किठौर विगत कई वर्षों से यहां से सब कुछ बेचकर चला गया। वारण्टी का मोबाईल नं० 9711716584 ज्ञात हुआ, जिसकी लोकेशन दिल्ली की है। तत्पश्चात आदेशिका पर दिनांक 25.02.2026 को थाना स्थानीय से यह आख्या आयी कि "अभियुक्त इन्तजाम पुत्र इम्तियाज अली, निवासी कस्बा किठौर, मेरठ वर्तमान मकसन मंगल बाजार, सर्धानन्द पार्क, थलस्वा डेयरी, नई दिल्ली पर मौजूद मिला, तब उसे गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।" प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त को मा० उच्च न्यायालय से धारा

173 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत रिपोर्ट संस्थित होने तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त था। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को प्रस्तुत मामले की पर्याप्त जानकारी थी परन्तु प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त का आचरण इस तरह का है कि वह प्रस्तुत मामले से बचना चाह रहा है तथा उसके द्वारा किये गये उपरोक्त कृत्य से यह दर्शित हो रहा है कि वह अपने को छिपा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान की गयी तो वह भविष्य में भी उपरोक्त आचरण की पुनरावृत्ति कर सकता है।

प्रस्तुत मामले का अपराध मृत्यु प्रमाणपत्र की कूटरचना एवं शत्रु संपत्ति से संबंधित है तथा गंभीर प्रकृति का है, जो कि आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **इन्तेजाम पुत्र इम्तियाज** की ओर से मु०अ०सं० 404/2014, धारा-420,467,468,471,120 बी भा०दं०सं०, थाना किठौर, जिला मेरठ में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-18.03.2026

(चन्द्र शेखर मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या-02, मेरठ।